## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2013/00268 (146/2013) 223 आरटीएक्ट

1. समीदेवी आयु 87 वर्ष (पुत्री स्व श्री भूराराम) धर्म पत्नी स्व श्री दूलाराम जाति जाट निवासी जोगीवाला तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. मनीदेवी आयु 82 वर्ष (पुत्री स्व0. श्री भूराराम) धर्मपत्नी स्व0 श्रीसुरजाराम जाति जाट निवासी चक 26 आरजेडी, पी0ओ0–22 तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. गोरा देवी आयु 60 वर्ष (पुत्री स्व0 श्रीमति रूकमादेवी धर्मपत्नी स्व श्री गोरधन) धर्मपत्नी स्व0 श्रीं तनूराम जाति जाट निवासी खींववाली ढाब तहसील व जिला फाजिल्का
4. रामीदेवी (समी) आयु 57 वर्ष (पुत्री स्व0 श्रीमति रूकमादेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री गोरधन) धर्मपत्नी स्व0 श्री नेतराम, जाति जाट निवीस खींववाली ढाब तहसील व जिला फाजिल्का।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. बलराम, काशीराम } पुत्रगण स्व0 मामकौरी (पुत्री स्व श्री भूराराम) धर्मपत्नी स्व श्री
2. रघुवीर जाति जाट निवासी डबलीकलां, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

--असल रेस्पोडेण्ट/वादीगण

3. अमरसिंह, स्व0 रामकुमार } पुत्रगण स्व0 श्रीमति चावली देवी (पुत्री स्व0 श्री भूराराम), धर्मपत्नी श्री भागीरथ जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. राजाराम
6. कौशल्या पुत्री स्व0 श्रीमति चावली देवी (पुत्री स्व0 श्री भूराराम) धर्मपत्नी श्री रजीराम जाति जाट निवासी मौजगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
7. रोशनी पुत्री स्व0 श्री मामकौरी (पुत्री स्व0 श्री भूराराम) धर्मपत्नी श्री बिहारीलाल जाति जाट निवीस सगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेण्ट/प्रतिवावदीगण संख्या 1 से 4–7–15

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. कलावती (कलो) (पुत्री स्व0 श्रीमति रूकमादेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री गोरधन) धर्मपत्नी स्व0 श्री बृजलाल जाति जाट निवासी वार्ड नं. 10 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. कौशल्या (सुशीला) (पुत्री स्व श्रीमति रूकादेवी धर्मपत्नी स्व श्री गोधरधन) धर्मपत्नी श्री कृष्ण स्याग जाति जाट निवासी वार्ड नं. 10 पुरानी आबादी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. पुष्पादेवी (पुत्री स्व0 श्री रूकमादेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री गोधरन) धर्मपत्नी श्री नरेश चौधरी जाति जाट निवासी राणाप्रताप कॉलोनी, जवाहर नगर श्रीगंगगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. बलराम } पुत्रगण स्व0 श्रीमति रूकमादेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री गोरधन जाति जाट निवासी 34 पब्लिक पार्क श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—तरतीबी रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण संख्य—10 से 14

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2009 द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी प्र. सं. 53/2008 बअनवानी बलराम आदि बनाम अमरसिंह आदि

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजेश दीपराय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2
श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ता 5

निर्णय दिनांकः—23.12.2019

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के समक्ष धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया कि वादीगण की माता एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 व 7 ता 14 व प्रतिवादी संख्या 5, 6 के नाम चक 5 एनडीआर के खाता संख्या 54/55 में कुल 2.480 है. भूमि है वादीगण एव प्रतिवादीगण स. 1 ता 4 व 7 ता 14 के नाम व प्रतिवादीगण सं0 5, 6 के नाम ग्राम डबलीकला के चक 2 आरपी में 44 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादीगण के नाना भूराराम ने अपने जीवनकाल में समस्त आराजी की वसीयत 21.02.75 को अपनी पुत्री मामकोरी व चावली के नाम वसीयत करवा दी। मुताबिक वसीयत उसी अनुसार कब्जा काश्त है एवं रकम राज व आबयाना खजानाराज जमा करवाते आ रहे है।। भूराराम की वसीयत के विरूद्ध माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीन नं0

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

1 हनुमानगढ में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 की माता ने वाद पेश किया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.05.1991 से वसीयत को वैध करार दिया। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 की माता चावली ने मुताबिक वसीयत अपनी आराजी को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया परन्तु वादीगण की माता के हिस्से की बची आराजी में प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की माता व प्रतिवादीगण सं0 5, 6 व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 14 की माता का नाम बरिसा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो गैर कानूनी व विधि विरूद्ध रूप से दर्ज किया है जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। वादपत्र में वादीगण ने चक 5 एनडीआर सी जो पुरानी चक 2 आरपी था के प0 नं0 182/347 किला नं. 2,3, 8, 9, 13, 18, 19, 22, 23 कुल 9.16 बीघा के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की माता चावली व प्रतिवादिया सं0 5, 6 व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 14 की माता का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का नाम रिकार्ड में दर्ज किये जाने एवं वाद पत्र में वर्णितानुसार खाता विभाजन करने का अनुतोष मांगा एवं प्रतिवादी सं0 1 ता4 की माता व प्रतिवादी सं0 5,6 व प्रतिवादी सं0 8 ता 14 की माता का नाम कलमजन किये जाने का भी अनुतोष मांगा। अधीनस्थ न्यायायल में प्रतिवादी सं0 4 व 7 के कोई जवाब प्रस्तुत नही किया शेष पक्षकार कोई उपस्थित नही आया। वादीगण ने वाद को लोक अदालत में रखने एवे राजीनामा के अनुसार वाद का निस्तारण किये जाने का कथन किया, विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. अपीलाण्ट संख्या 1 सम्मी देवी फौत हो चुकी है उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र दिनांक 26.06.2018 खारिज किया जाकर उसकी हद तक अपील अबेट की जा चुकी है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय मंसूखी वसीयतनामा दिनांक 06.01.1976 के तथ्य को छुपाकर हासिल किया गया है जो अपास्त होने योग्य है। वादपत्र में अपीलाण्ट का पता गलत अंकित है। अपीलाण्ट सं0 1 के पति का नाम स्व0 श्री दुलाराम है जबकि शीर्षक वाद पत्र एवं प्रेषित किये गये सम्मन में अपीलाण्ट संख्या 1 के पति का नाम गलत रूप से सुरजाराम अंकित किया गया है। इसी प्रकार अपीलांट संख्या 2 के पति का नाम स्व0 सुरजाराम है जबकि शीर्षक वादपत्र एवं प्रेषित किये गये सम्मन में अपीलाण्ट संख्या 2 के पति का नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दुलीचन्द दर्ज किया गया है। अपीलाण्ट संख्या 2 का पता ससुराल चक 26 आरजेडी तहसीलं घड़साना है जबकि शीर्षक वादपत्र एवं सम्मन में यह पता जोगीवाला तहसील श्रीगंगानगर मिथ्या रूप से यह जानते हुए अंकित किया कि अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 को उक्त वादपत्र की जानकारी न हो सके। अपीलाण्ट संख्या 1 को प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 1.12.2008 व अपीलाण्ट संख्या 2 को प्रेषित रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 3170 दिनांक 01.12.2008 अदम तामील वापिस लौटे हैं जिस पर पास्टमैन का यह स्पष्ट पृष्ठांकन है कि कृप्या पता सही नहीं है इसलिए पता सही करके भेजे पता गलत होने क कारण आरएलएडी वापिस भेजे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने व रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने शीर्षक वाद पत्र में संशोधन करवाया ना ही संशोधित पता पर पुनः रजिस्टर्ड सम्मन प्रेषित किये अपीलाण्ट संख्या 3 व 4 अपने विवाह उपरान्त अपने ससुराल खींववाली ढाब तहसील फाजिल्का में आबाद रही है जिनके सम्मन उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 को भूराराम द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.02.1975 को स्व0 श्री भूराराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही दिनांक 06.01.1976 को रजिस्टर्ड दस्तावेज मंसूखी वसीयत के जरिये मंसूख किये जाने का ज्ञान था। स्व0 श्री भूराराम ने यह वसयीत अपनी पुत्रियॉ चावली देवी व मामकौरी द्वारा उनकी सेवा नहीं करने पर दिनांक 06.01.1976 को मंसूख कर दी थी। स्व0 श्री भूराराम अपने पुत्री रूकमादेवी के साथ श्रीगंगानगर में रहे और दिनांक 07.10.1979 को उनका रूकामददेवी के पास रहते हुए श्रीगंगानगर में देहान्त हो गया। वसीयत नामा दिनांक 21.02.1975 के निष्पादन के सम्बन्ध में कोई विवाद नही था बल्कि वास्तव में यह विवाद था कि यह वसीयत भूराराम ने मंसूख कर दी अथवा नहीं उक्त निर्णय दिनांक 16.10.1982 में दोनों की उपिस्थति में निर्णय हो जाने के बाद इस विवाद का अन्त हो चुका था। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ द्वारा दीवानी वाद संख्या 163/89 में पारित निर्णय दिनांक 13.05.1991 का सहारा लिया है इस एकपक्षीय निर्णय में मात्र वसीयतनामा दिनांक 21.02.1975 को वैध ठाहराया गया है। इस दीवानी वाद में पारित निर्णय में भी भूराराम द्वारा निष्पादित दस्तावेज मंसूखी वसीयतनामा दिनांक 06.01.1976 के सम्बन्ध में कोई विवेचना एवं निष्कर्ष नहीं है तथा ना ही चावली देवी ने इस दीवानी वाद में न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन रा0 न0 प0 सूरतगढ के द्वारा 16.10.82 को प्रकट किया। प्रतिवादीगण जो चावली देवी व मामकौरी के वारिस थे तथा मंसूख हो चुके वसीयतनामा में हितबद्ध रहे हैं के इकबालदावा एवं राजीनामा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आधार पर अपीलाधीन डिक्री पारित कर प्रश्नगत भूमि जो अपीलाण्ट संख्या 1 व 2 तथा स्व0 रूकमा देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी का नाम कलमजन करने के आदेश पारित कर दिये। प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में स्व0 श्री भूराराम द्वारा निष्पादित वसीयत 21.02.1975 प्रभाव में नहीं थी तथा सक्षम न्यायालय के आदेश से प्रनगत भूमि स्व0 श्री भूराराम के सभी वारिसों के नाम दर्ज हुई थी। वसीयत को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने छिपाया है तथा अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हासिल की है। अपर जिला न्यायाधीश महोदय हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय थी एकपक्षीय था। इस एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हुआ है जिसकी नकल प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट्स की तामील नही हाने के कारण प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को ज्ञान नहीं था इसलिए अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान होते ही अपील पेश करदी है। डिले कन्डोन की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मुताबिक वसीयत प्रश्नगत रकबा पर हम काबिज थे एवं रकम राज व आबयाना खजाना राज जमा करवाते आ रहे है। भूराराम की वसीयत के विरूद्ध माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीन नं0 1 हनुमानगढ में प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 की माता ने वाद पेश किया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.05.1991 से वसीयत को वैध करार दिया। वसीयत के संबंध में अपीलाण्ट ने 24 वर्ष बाद प्रार्थना–पत्र पेश किया है वह भी अपीलाधीन निर्णय के 4 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है। वसीयत आज भी प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स के भाईयों ने राजीनामा के आधार पर निर्णय पारित करवाया है जो अपीलाधीन निर्णय से सहमत हैं। अपीलाण्ट्स ने यह अपील लालचवश की है । इस अपील को भी अपीलाण्ट संख्या 1 की हद तक अपील को दिनांक 26.06.2018 को अबेट कर दिया गया था। अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने की गरज से पेश की है। अपीलाण्ट्स का इस भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 की माता चावली ने मुताबिक वसीयत अपनी आराजी को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा लिया परन्तु वादीगण की माता के हिस्से की बची आराजी में प्रतिवादी सं0 1 ता 4 की माता व प्रतिवादीगण सं0 5, 6 व प्रतिवादीगण सं0 8 ता 14 की माता का नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जो गैर कानूनी व विधि विरूद्ध रूप से दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

किया है जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

**6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।**

7. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 द्वारा घोषणा एवं खाता विभाजन का वाद किया था। जिमसें प्रतिवादी संख्या 4 7 ने जरिये वकील न्यायालय में हाजिर आये तथा जवाब दावा पेशकर निवेदन किया कि वचादीगण के वाद का जवाब दावा बन्द किया जाकर आदेश फरमाया जावे। वादीगण ने प्रार्थना–पत्र पेश किया कि वादीगण का वाद लोक अदालत में रखा जाकर राजीनामा के अनुसार वाद का निस्तारण किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 5, 6, 8 ता 14 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की है। अपीलाण्ट् अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण संख्या 5–6–8–9 थे। अपीलाण्ट संख्या 1/प्रतिवादी संख्या 9 फौत हो चुकी है और वारिसान को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.06.2018 को खारिज किया जाकर उसकी हद तक अपील अबेट की गई है। शेष रेस्पोडेण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उनकी तलबी विधि सम्मत नहीं करवाई गई है इसलिए उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नही मिला है तो वह अपने कथन इस न्यायालय में कर सकता है। तकनीकी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में सहमति/राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय को निरस्त किया जाना उचित नही हैं अपील में अपीलाण्ट का मुख्य आधार यह है कि स्व0 भूराराम के देहान्त हो जाने पर वसीयत के अधार पर चावली व मामकौरी ने इन्तकाल दर्ज करवाना चाहा जिस पर विवाद हुआ तथा न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन राजस्थान नहर परियोजना सूरतगढ के निर्णय दिनांक 16.10.1982 के अन्तर्गत मंसूखी वसीयत दिनांक 06.01.1976 के आधार पर वसीयत दिनांक 21.02.1975 मंसूख हो जाने से स्व0 श्री भूराराम के सभी वारिसों के नाम विरास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ था। इसलिए अपीलाण्ट का इस भूमि पर हक हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामा/सहमति के आधार पर पारित निर्णय में यह अवलम्ब लिया है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में भुराराम ने अपनी खातेदारी भूमि की अपनी स्वैच्छा से अपनी पुत्रियों मामकोरी व चावली के नाम से वसीयत करवाई जाकर तस्दीक करवाई गई थी। भूराराम के फौत होने पर उसकी वसीयत के सम्ब्न्ध में वाद सिविल न्यायला में प्रस्तुत हुआ जो डिक्री किया जाकर भूराराम के द्वारा की गई वसीयत को वैध माना गया इस निर्णय के अनुसार चावली देवी ने अपने हक व हिस्से की भूमि को

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाली परन्तु मामकोरी के हक व हिस्से की भूमि का विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज कर दिया था जबकि मामकोरी के हिस्से की भूमि को वसीयत के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में मामकोरी या मामकोरी के फोत होने पर मामकोरी के वारिसान के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी जो नहीं की गई है। वादीगण के अनुसार वादीगण ने मामकोरी के फौत होने पर घरू बंटवारा किया जाकर अपने हक व हिस्से पर काबिज है जिसके कि अधिकारी हैं क्योंकिमामकोरी के फोत होने पर वादीगण ही मामकोरी की सम्पति के वारिस हैं क्योंकि रोशनी देवी अपना हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। विचारण न्यायालय ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं0 1 हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 13.05.1991 की पालना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0–1 हनुमानगढ के समक्ष प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है, लेकिन अपीलाण्ट ने वसीयत दिनांक 21.02.1975 को निरस्त करने का कोई आदेश अपील में प्रस्तुत नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपर जिला न्यायाधीश सं0–1 के निर्णय दिनाक 13.05.1991 के अनुसरण में जो निर्णय पारित किया है उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 11.11.2009 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशा राम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ



Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.01.10 12:46:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: